बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 19 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 27.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.40 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन के माध्यम से रामनवमी पर्व के दौरान औरंगाबाद एवं भागलपुर सहित पूरे राज्य में दंगा का माहौल बनाने के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया। इसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या- 4, 5, 6, 7, 10, 24 एवं 25 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

इसपर सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप होने लगा तथा राजद के माननीय सदस्यगण हाथों में पोस्टर दिखाते हुए सदन वेश्म में चले आये तथा नारेबाजी करने लगे। माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने सरकार की ओर से उत्तर दिया। पुन: माननीय उप सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि अपने

वक्तव्य में माननीय उप मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अत: आपलोग अपने स्थान पर चले जाएं। आसन के अनुरोध के बाद माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर वापस चले गये।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 168, 169, 170 उत्तरित हुए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 406, 407, 408, 409, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 425, 426, 427 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या– 410, 413, 420, 421 व्यपगत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 419 पर सदन की भावना को देखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने भी उत्तर दिया। आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजिए, सरकार के संज्ञान में बात आ गई है।

3. परिनियत कार्य

1. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के जेन्डर बजट पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के परिणाम बजट पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. श्री दिलीप कुमार चौधरी
3. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

शून्यकाल की सूचनाओं पर आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, दे दीजिए, सरकार के संज्ञान में आ गया।

5. आसन को सूचना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह ने कंप्यूटर शिक्षकों के धरना पर बैठने एवं आमरण अनशन करने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया तथा कहा कि उन लोगों ने महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की मांग की है। अत: सरकार कम से कम उनके प्रतिनिधि को बुलाकर वार्ता करे और अनशन समाप्त करा दे। कई माननीय सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया।

इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आप सबों की सूचना को सरकार ने ग्रहण किया।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा राज्य के भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुण्ड थाना के खैरैह पहाड़ को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

7. ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

1. माननीय सदस्य, सर्वश्री सुबोध कुमार, दिलीप राय एवं राधाचरण साह के सहारा इंडिया कम्पनी के कार्यकलाप से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि यह सही है कि सहारा इंडिया में जब मैच्युरिटी होती है तो उसके कर्त्ता-धर्त्ता मोटिवेट करके फिर से रिइनवेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। गरीब लोगों को सही फोरम तो मालूम है नहीं कि कहां कंप्लेन करें। इसलिए इसपर सरकार को पैनी नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो एक समय आयेगा जब गरीब का पैसा ये लोग हजम कर जायेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने जांच के लिए आदेश दिया है और आपने कहा है कि ऑथेंटिक नाम दिया जाय। मैं भी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि दो-चार केस अगर कोई ऐसा है, तो कंप्लेन कराया जाय तो सरकार को उसपर कार्रवाई करने में सुविधा होगी।

ध्यानाकर्षण

2. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद द्वारा आई.जी.आई.एम.एस., पटना में संकाय सदस्यों की नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि आप सभी डॉक्युमेंट माननीय मंत्री को दे दीजिए। माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि पूरे कागजात दे दें, मैं पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच कराऊंगा। तदुपरांत माननीय सदस्य ने संबंधित कागजात सदन पटल पर रखा।

3. माननीय सदस्य, श्री सी०पी० सिन्हा द्वारा कविराज राम लखन बाबू के सम्मान में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान इकाई का नामकरण करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

2. माननीय सदस्य, प्रो० नवल किशोर यादव के डा० एच.एन. दिवाकर, निदेशक, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना के सेवाकाल के क्रियाकलापों की जाँच से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री ने समय लिया तथा कहा कि अगले सोमवार को इसका उत्तर होगा।

ध्यानाकर्षण

4. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा मध्यमा एवं उपशास्त्री प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, डा० रामवचन राय द्वारा राजधानी पटना में पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, श्री सच्चिदानन्द राय द्वारा राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना में लगे रसोइयों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

माननीय सदस्यों द्वारा सदन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए माननीय उप सभापति महोदय को बधाई दिये जाने पर माननीय उप सभापति महोदय ने

आसन से कहा कि सभी लोगों के सहयोग से सदन इतना शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सभी लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

(अंतराल)

7. माननीय सदस्य, सर्वश्री मनोज यादव, सोनेलाल मेहता, उपेन्द्र प्रसाद एवं राणा गंगेश्वर सिंह द्वारा पटना जिलान्तर्गत वार्ड संख्या-24 के दुजरा देवी स्थान निवासी श्री रामभजन सिंह निषाद द्वारा पाँच मंजिला मकान के निर्माण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

8. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय द्वारा वैशाली जिलान्तर्गत भगवानपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय पटेढ़ा की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राम नारायण मंडल एवं श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री ने सचिवालय स्तर से उसकी जांच कराने की बात कही है।

9. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा द्वारा मधुबनी जिला के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् उनके विधवा पत्नी अथवा आश्रित पुत्रों की नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

10. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय द्वारा सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से बाद में उत्तर होगा।

11. माननीय सदस्य, सर्वश्री नीरज कुमार, वीरेन्द्र नारायण यादव एवं राणा गंगेश्वर सिंह द्वारा श्रीमती राशदा सुल्ताना, सहायक शिक्षिका, हिन्दी प्राथमिक विद्यालय, नरपालिया, मांझी, सारण के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से बाद में उत्तर होगा।

8. वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

(गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, पंचायती राज)

विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव
2. श्री संजय प्रसाद
3. श्री सुनील कुमार सिंह
4. श्री सुबोध कुमार

विभागवार सामान्य वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से निम्नांकित माननीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया –

1. श्री विजेंद्र प्रसाद यादव (माननीय मंत्री ने वक्तव्य की प्रति सदन पटल पर रखा)

2. श्री कपिलदेव कामत (माननीय मंत्री ने वक्तव्य की प्रति सदन पटल पर रखा)

9. औपचारिक कार्य

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2)

विधेयक, 2018, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27.3.2018 की बैठक में पारित हुआ, सदन की मेज पर रखा गया।

10. वित्तीय कार्य

माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 एक साथ लिए जाएं, जिसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

11. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 पर विचार हो।

विधेयक के विचार के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय ने अपने विचार व्यक्त किये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 पारित हो।

विधेयक पर स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

12. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. प्रो. संजय कुमार सिंह
2. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
3. श्री रामचन्द्र भारती
4. प्रो. नवल किशोर यादव
5. श्री सतीश कुमार

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 28.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

27/3/2018

(सुधीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 576 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 27.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 27-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।